न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं0 : 07/2019

अनवान :

1. प्रतापसिंह पुत्र श्री राजीलाल जाति नाई निवासी झांसल।
2. मनसुख पुत्र श्री रामजीलाल जाति नाई निवासी झांसल।
3. मोहनलाल पुत्र श्री रामजीलाल नाई निवासी झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. कृष्णकुमार पुत्र बालाराम जाति जाट निवासी झांसल।
2. महेन्द्र पुत्र बालाराम जाति जाट निवासी झांसल।
3. रणवीरसिंह पुत्र शिशपाल जाति जाट निवासी झांसल।
4. सुनितादेवी दलाल पत्नि सुबेसिंह जाति जाट निवासी गांव झांसल तहसील भादरा।
5. भारतीय स्टेट बैंक शाखा छानीबडी जरिऐ शाखा प्रबन्धक।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र 251(1) राजस्थान काश्तकारी अधि0

उपस्थिति : वकील श्री धर्मपाल बेरवाल : प्रार्थीगण

निर्णय **दिनांक : 09.05.2019**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की तहसील भादरा के रोही मौजा चक 3 एएमएस के खाता सं0 64/64 के मु0नं0 77 के किला नं0 1, 9, 10, 11 कुल किता 4 की 1.0120 है0 नहरी मुश्तर्का खाता की कृषि भूमि स्थित है।

प्रार्थीगण की कृषि भूमि के चिपते ही अप्रार्थीगण की कृषि भूमि चक 3 एएमएस के खाता सं0 11/86 के मु0नं0 74 के किला नं0 21/1, 22 से 24 मु0नं0 77 के किला नं0 2 से 4, 7, 8, 14, 17 कुल किता 7 की 1.7710 है0 कुल क्षैत्रफल 2.6560 है0 नहरी कृषि भूमि संयुक्त रूप से अप्रार्थी सं0 1 से 4 की मुश्तर्का खाता की स्थित है।

प्रार्थीगण की कृषि भूमि में आवागमन करने के लिए कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि में आवागमन करने के लिए अप्रार्थीगण की कृषि भूमि के मु0नं0 77 के किला नं0 8 में से होकर अपनी कृषि भूमि में प्रवेश करते है। प्रार्थीगण की खातेदारी में जाने के लिए यही एक मात्र सरल एवं सुगम रास्ता है इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है।

प्रार्थीगण की कृषि भूमि में आवागमन करने के लिए अप्रार्थीगण की कृषि भूमि चक 3 एएमएस के खाता सं0 11/86 के मु0नं0 77 के किला नं0 14 तक स्वीकृतशुदा रास्ता है उससे आगे मु0नं0 77 के किला नं0 8 के दक्षिणी दिशा में पूर्व से पश्चिम एक गट्ठा चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण अपनी खातेदारी में जाने के लिए स्वीकृत करवाना चाहते है।

प्रार्थीगण की कृषि भूमि में रास्ता स्वीकृत नहीं होने से अप्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि के मु0नं0 77 के किला नं0 8 से आवागमन करने में बाधा उत्पन्न कर रहे है जिससे प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि में आवागमन नहीं कर पा रहे है। प्रार्थीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की पालना करने को तत्पर एवं तैयार है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिऐ नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामील होने के उपरान्त प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सं0 1

उपखण्डाधिकारी (राजस्व) (जिला-हनुमानगढ़)

ता 4 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। अप्रार्थी सं0 5 के विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस वकील प्रार्थीगण सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण रणवीरसिंह व सुनिता देवी की ओर से शीशपाल को मुख्त्यारे खास नियुक्त किया गया है जिन्होने राजीनामा पेश किया है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा रास्ता स्वीकृत किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण ने चक 3 एएमएस के खाता सं0 64/64 के मु0नं0 77 की अपनी आराजी में आवागमन के लिए रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है। चूंकि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का रास्ता को लेकर आपसी सहमति से राजीनामा हो गया है। मुताबिक राजीनामा द्वितीय पक्ष अपने नाम दर्ज खातेदारी चक 3 एएमएस के खाता सं0 11/86 के मु0नं0 77 के किला नं0 8 के दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम 1 गट्ठा चौड़ा (8X1/4 फुट) रास्ता अमलदरामद कराने पर सहमत हो गये है तथा जमाबन्दी चक 3 एएमएस व नजरी नक्शा चक 3 एएमएस के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता आवागमन के लिए सरल, सुगम व निकटतम दूरी का रास्ता है।

अत : प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251(1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है। तथा आदेश दिया जाता है कि चक 3 एएमएस के खाता सं0 11/86 के मु0नं0 77 के किला नं0 8 के दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम 1 गट्ठा चौड़ा (8X1/4 फुट) रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत किया जाता है। चूंकि कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन बैंक यथावत् रखा जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ता का अंकन किया जावे। तहसीलदार राजस्व भादरा को आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 09.04.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज0)

09.04.19

(सुखाराम पिण्डेल)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ़
भादरा, जिला हनुमानगढ़